न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद मु० सीकर
डाबूराम V/S TDR धोद

5/8/20 पत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपरिथत है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 16/9/20 को पेश हो

16/9/20 पत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपरिथत है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 26/10/20 को पेश हो

26/10/20 पत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपरिथत है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 07/12/20 को पेश हो

07/12/20 पत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपरिथत है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 15/01/21 को पेश हो

15/01/21 पत्रावली पेश हुइ/वकील उभयपक्ष उपरिथत है
P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य मे व्यस्त/
यात्रा पर/अन्य कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आदेशानुसार दिनांक 23/02/21 को पेश हो

10/2/2021 पत्रावली आज वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं प्रार्थना–पत्र बाबत मिसल तलबी के आवेदन पर पेशी में ली गई। उपस्थित वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं ने निवेदन किया कि ग्राम दूगोली तहसील धोद के खसरा सं. 376 रकबा 0.1600 हेक्टेयर में प्रार्थी के पिताजी का नाम टोडाराम पुत्र लादूराम अंकित है। जबकि प्रार्थी के पिताजी का सही नाम ठाडूराम पुत्र लादूराम है। प्रार्थी के पिता ठाडूराम का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी के पिता के आधार कार्ड, प्रार्थी के स्वयं के आधार कार्ड तथा प्रार्थी के पिताजी के नाम की अन्य कृषि भूमियां खसरा सं. 390, 391, 400 वाके ग्राम दूगोली के राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी के पिताजी का सही नाम स्व. ठाडूराम अंकित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम स्व. टोडाराम पुत्र स्व. लादूराम के स्थान पर ठाडूराम पुत्र लादूराम दुरुस्त किया जावे।

प्रार्थना–पत्र मय रिपोर्ट आदि का अवलोकन किया। तहसीलदार, धोद ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि "फर्द जांच रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के परीक्षण के बाद खातेदार का सही नाम टोडाराम पुत्र लादूराम के स्थान पर ठाडूराम पुत्र लादूराम जाति जाट सा. देह किया जाना प्रस्तावित है। उक्तानुसार शुद्धि की अभिशंषा की जाती है।" प्रार्थी के पक्ष में दो स्वतंत्र गवाह भावाराम व भुदाराम के शपथ–पत्र पेश किये गये, जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहों ने अपने शपथ–पत्रों में अंकित किया है कि "प्रार्थी डालूराम के पिता का सही व वास्तविक नाम ठाडूराम पुत्र लादूराम है। राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से प्रार्थी के पिता का नाम टोडाराम पुत्र लादूराम दर्ज हो गया, जो कि गलत है। अतः प्रार्थी के पिता का सही नाम ठाडूराम पुत्र लादूराम दर्ज किये जाने का निवेदन है।" अतः मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट, प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों, स्वतंत्र गवाहों के शपथ–पत्र के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम दूगोली तहसील धोद के खसरा सं. 376 रकबा 0.1600 हेक्टेयर में प्रार्थी के पिता का नाम टोडाराम पुत्र लादूराम के स्थान पर ठाडूराम पुत्र लादूराम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Kumar
Date: 2021.02.19 17:11:58 IST
Reason: SelfAttested